

न्यायालय

फर्द अहकाम
- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

अनिल



बनाम

अखिलेश व अन्य

प्रतिवादीगण

संख्या 60/24 (2024/

online number) अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.03.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 02/04/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर</p>	<p style="text-align: right;">नो रिफाउण्ड</p> <p style="text-align: center;">18/</p> <p style="text-align: right;">12/3/24</p>
02-04-24	<p>पत्रावली पेश हुई। 02-04-24 को पेश किया गया कार्य में अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक 23-05-24 को पेश हो।</p>	
23/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। नमील वादी उपस्थित। इंजाब तानिल हेतु पत्रावली दिनांक 14.6.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
14/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। नमील वादी उपस्थित। इंजाब तानिल हेतु पत्रावली दिनांक 18-6-24 को पेश हो।</p>	
18.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। नमील वादी व वादी अनुपस्थित। बात बात आवाज लगवाने पर भी वादी व वादी नमील उपस्थित नहीं। इससे यह स्पष्ट होता</p>	

